### Rajasthali Law Institute

# Prelims test series Transfer of Property Act-4 (Section 67 to 137)

- 1)A usufructuary mortgagee is a transferee of right of possession only and he:?
- (a) does not retain possession until the debt is discharged
- (b) retains possession until the debt is discharged
- (c) only (a) is correct
- (d) none of the above.
- 1)एक भोगबन्धक बन्धकग्रहीता केवल कब्जे के अधिकार का अन्तरणकर्ता है और वह:

ऋण चुकाए जाने तक कब्जा बरकरार नहीं रखता ऋण चुकाने तक कब्जा बरकरार रखता है केवल सही है उपरोक्त में से कोई नहीं।

2)Under Article 63(a) of the Limitation Act, 1963, provides a period of ... years from the due date for suits by a mortgagee for disclosure.

Estd. 2008

- (a) 30 years
- (b) 24 years
- (c) 12 years
- (d) 7 years.

2)परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 63के तहत, प्रकटीकरण के लिए बन्धकग्रहीता द्वारा वादों के लिए नियत तारीख से ... वर्षों की अवधि प्रदान की जाती है।

30 वर्ष

24 वर्ष

12 वर्ष

7 वर्ष।

- 3)Section 67(d) of the Transfer of Property Act, 1882, is contrary to the last clause of section 60 and rests on the same principle of the individuality of mortgage security. The reason has been discussed in:
- (a) Norender Narain v. Dwarka Lal Mundan,(1887) 3 Cal 397
- (b) Ram Sahai v. Debi Din, (1932) 54 All 482
- (c) Nilakant v. Suresh Chunder, (1886) 12 Cal 414
- (d) none of the above.
- 3)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 67(डी), धारा 60 के अंतिम खंड के विपरीत है और बंधक सुरक्षा की वैयक्तिकता के समान सिद्धांत पर आधारित है। कारण पर चर्चा की गई है:

नोरेंडर नारायण बनाम द्वारका लाल मुंडन, (1887) 3 कैल 397 राम सहाय बनाम देबी दीन, (1932) 54 सभी 482 नीलकांत बनाम सुरेश चंदर, (1886) 12 कैल 414 उपरोक्त में से कोई नहीं।

4) Under section 67A of the Transfer of Property Act, 1882, the mortgagee who sues to obtain the same kind of decree on any one of the mortgagee, shall, be bound to sue on all the mortgages in respect of which the mortgage money has become due.?

- (a) the provision does not fall under this provision
- (b) the provision falls under this section
- (c) this provision is contrary to property Act
- (d) none of the above.
- 4) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 67ए के तहत, बन्धकग्रहीता जो बन्धकग्रहीता में से किसी एक पर समान प्रकार की डिक्री प्राप्त करने के लिए मुकदमा करता है, वह उन सभी बंधकों पर मुकदमा करने के लिए बाध्य होगा जिनके संबंध में बंधक राशि देय हो गई है। .? प्रावधान इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है प्रावधान इस धारा के अंतर्गत आता है (ग) यह प्रावधान संपत्ति अधिनियम के विपरीत है उपरोक्त में से कोई नहीं।
- 5) If the suit on all mortgages under section 67 of the Transfer of Property Act, 1882, cannot be brought in the same court, section 67?
- (a) can apply
- (b) cannot apply
- (c) can apply subject to discretion of provisions of section 60
- (d) none of the above.
- 5)यदि संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 67 के तहत सभी बंधकों पर मुकदमा एक ही अदालत में नहीं लाया जा सकता है, तो धारा 67? आवेदन कर सकते हैं आवेदन नहीं कर सकते धारा 60 के प्रावधानों के विवेक के अधीन आवेदन कर सकते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं।
- 6)Provisions of section 67A shall not apply?

- (a) if the mortgagee sues for foreclosure on one mortgage and for sale on another mortgage
- (b) if the mortgagee is minor
- (c) if the mortgagor is insane
- (d) any suit.
- 6)धारा 67ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे ? यदि बन्धकग्रहीता एक बंधक पर प्रोबध के लिए और दूसरे बंधक पर विक्रय के लिए म्कदमा करता है यदि बन्धकग्रहीता अवयस्क है यदि बंधककर्ता पागल है कोई भी वाद
- 7)Under section 68 of the Transfer of Property Act, 1882, provision of this section shall not apply if the mortgagee sues for foreclosure on one mortgage and for sale on another mortgage.

The statement:?

- (a) is correct
- (b) is not correct
- (c) is partly correct
- (d) none of the above
- 7) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 68 के तहत, इस धारा का प्रावधान लागू नहीं होगा यदि बन्धकग्रहीता एक बंधक पर प्रोबंध के लिए और दूसरे बंधक पर विक्रय के लिए म्कदमा करता है। कथन:? सही है सही नहीं है Estd. 2008 आंशिक रूप से सही है उपरोक्त में से कोई नहीं

## 8)What is true about the section 68 of the Transfer of Property Act, 1882, refers to the personal remedy by the mortgagee whereas section 67:

- (a) refers to remedy against the property mortgaged
- (b) refers to remedy against property sold
- (c) refers to remedy against property hypothecated
- (d) none of the above.
- 8) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 68 के बारे में क्या सच है, बन्धकग्रहीता द्वारा व्यक्तिगत उपचार को संदर्भित करता है जबकि धारा 67: बंधक रखी गई संपत्ति के खिलाफ उपाय को संदर्भित करता है बेची गई संपत्ति के खिलाफ उपाय को संदर्भित करता है बंधक रखी गई संपत्ति के विरुद्ध उपाय को संदर्भित करता है उपरोक्त में से कोई नहीं।
- 9) Within the meaning of section 69A of the Transfer of Property Act, 1882 a mortgagee having the right to exercise a power of sale under section 69, shall subject to the provisions of sub-section (2) be entitled to appoint a receiver. The statement:?
- (a) is correct
- (b) is not correct
- (c) is ambiguous
- (d) based on the provision of section 70
- 9) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 69ए के अर्थ में, धारा 69 के तहत विक्रय की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार रखने वाला एक बन्धकग्रहीता, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन एक रिसीवर नियुक्त करने का हकदार होगा। कथन:?

सही है सही नहीं है अस्पष्ट है धारा 70 के प्रावधान के आधार पर

### 10)When after the date of mortgage, any accession is made to such a mortgage, the mortgagee ?

- (a) shall not be entitled to such accession
- (b) shall be entitled to accession
- (c) shall be entitled to interest
- (d) shall be entitled to mortgaged property only.

10) जब बंधक की तारीख के बाद, ऐसे बंधक में कोई परिग्रहण किया जाता है, तो बन्धकग्रहीता ? ऐसे परिग्रहण का हकदार नहीं होगा परिग्रहण का हकदार होगा ब्याज का हकदार होगा केवल बंधक रखी गई संपत्ति का हकदार होगा।

### 11)Where the mortgaged property is a lease and the mortgagor obtains a renewal of lease then,

- (a) the mortgagee shall not for the purpose of security, be entitled to new lease
- (b) the mortgagee shall for the purpose of security be entitled to new lease
- (c) mortgagee shall not be entitled to new lease
- (d) mortgagee shall be entitled to interest.
- 11) जहां बंधक रखी गई संपत्ति एक पट्टा है और बंधककर्ता पट्टे का नवीनीकरण प्राप्त करता है,

बन्धकग्रहीता सुरक्षा के उद्देश्य से नए पट्टे का हकदार नहीं होगा बन्धकग्रहीता सुरक्षा के उद्देश्य से नए पट्टे का हकदार होगा बन्धकग्रहीता नए पट्टे का हकदार नहीं होगा बन्धकग्रहीता ब्याज का हकदार होगा।

- 12) If the mortgagor has not insured against fire, the mortgagee is authorized to insure and to add the premium to the mortgaged debt This is the provision under:
- (a) section 73 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) section 72 of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) section 71 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) section 70 of the Transfer of Property Act, 1882
- 12) यदि बन्धककर्ता ने आग के खिलाफ बीमा नहीं कराया है, तो बन्धकग्रहीता बीमा करने और बंधक ऋण में प्रीमियम जोड़ने के लिए अधिकृत है। यह प्रावधान है: संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 73 संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 72 संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 71 संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 70
- 13)Which among the following sections provides the statutory duties of a usufructuary mortgagee or of a mortgagee in possession?
- (a) section 76
- (b) section 77
- (c) section 78
- (d) section 79.
- 13) निम्नलिखित में से कौन सी धारा भोगबन्धक बन्धकग्रहीता या कब्जे में बन्धकग्रहीता के वैधानिक कर्तव्यों का प्रावधान करती है?

Estd. 2008

धारा 76

धारा 77

धारा 78

धारा 79.

- 14)A mortgagee permitted by the deed to appropriate the usufruct for interest on the principal is by the provisions of section 77 of the Transfer of Property Act, 1882:
- (a) except from liability to account for the usufruct
- (b) not exempted from liability to account for the usufruct
- (c) exempt from interest only
- (d) none of the above.
- 14) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 77 के प्रावधानों के तहत बन्धकग्रहीता को मूलधन पर ब्याज के लिए लाभ का विनियोजन करने की अनुमति विलेख द्वारा दी जाती है:

सूदखोरी के लिए दायित्व को छोड़कर सूदखोरी के लिए दायित्व से छूट नहीं है केवल ब्याज से छूट उपरोक्त में से कोई नहीं।

- 15) The word "fraud" is used in section 78 of the Transfer of Property Act is analogous with section 17 of the Indian Contract Act, 1872. Thus there is a duty on the mortgagee to disclose his lien at a court sale. The statement is:
- (a) true
- (b) false
- (c) partly true
- (d) none of the above
- 15) संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 78 में प्रयुक्त शब्द "धोखाधड़ी" भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अनुरूप है। इस प्रकार गिरवीदार पर अदालती बिक्री में अपने ग्रहणाधिकार का खुलासा करने का कर्तव्य है। कथन है: सही

गलत आंशिक रूप से सच है उपरोक्त में से कोई नहीं



Estd. 2008

- 16)Section 81 of the Transfer of Property Act, 1882, applies for the mortgage of immovable property and not to the hypothecation of:
- (a) immovable property
- (b) movable property
- (c) hire purchase goods
- (d) installment payment.
- 16) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 81, स्थावर संपत्ति के बंधक के लिए लागू होती है, न कि बंधक के लिए: स्थावर संपत्ति जंगम संपत्ति के के लिए: किराया खरीद माल किश्त भुगतान।
- 17)Where certain immovable property is mortgaged to a certain person and under the same document some cattle are hypothecated to him and the immovable property is again mortgaged to another person then:
- (a) section 81 of the Transfer of Property Act, has no application
- (b) section 81 of the Transfer of Property Act, can be applicable
- (c) only (b) is correct
- (d) none of the above.
- 17) जहां कुछ स्थावर संपत्ति एक निश्चित व्यक्ति के पास गिरवी रखी जाती है और उसी दस्तावेज़ के तहत कुछ मवेशी उसके पास बंधक रखे जाते हैं और स्थावर संपत्ति फिर से किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रख दी जाती है: संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 81 का कोई अनुप्रयोग नहीं है संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 81 लागू हो सकती है केवल सही है उपरोक्त में से कोई नहीं।

- 18)The principle of marshalling applies only where there is a common debtor and not to cases of more than one debtor mortgaging their separate properties jointly for contracting the debt. This principle pertains to:
- (a) section 80 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) section 81 of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) section 82 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) none of the above.
- 18)मार्शिलंग का सिद्धांत केवल वहीं लागू होता है जहां एक सामान्य देनदार होता है, न कि उन मामलों में जहां एक से अधिक देनदार ऋण के अनुबंध के लिए अपनी अलग-अलग संपितयों को संयुक्त रूप से बंधक रखते हैं। यह सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है:

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 80 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 81 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 82 उपरोक्त में से कोई नहीं।

- 19)Where the property subject to a mortgage belongs to two or more persons having distinct and separate rights to ownership therein, then the different shares in or parts of such property owned by such persons are:
- (a) not liable to contribute retably to the debt secured by the mortgage
- (b) liable to contribute retably to the debt secured by the mortgage
- (c) liable to contribute interest part only
- (d) none of the above.
- 19) जहां बंधक के अधीन संपत्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों की है जिनके स्वामित्व के अलग-अलग अधिकार हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व वाली ऐसी संपत्ति में अलग-अलग शेयर या हिस्से हैं:

बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण के लिए प्रतिशोधी योगदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है

बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण के लिए प्रतिशोधी योगदान करने के लिए उत्तरदायी है केवल ब्याज भाग का योगदान करने के लिए उत्तरदायी है उपरोक्त में से कोई नहीं।

# 20)Where two properties belong to same owner, one property is mortgaged to secure one debt and both properties are mortgaged to secure another debt and the former debt is paid out of the former property, each property is:

- (a) liable to contribute retably to the latter after deducting the amount of former debt from the value of property out of which it has been paid
- (b) not liable to contribute retably to the latter after deducting amount of former debt
- (c) debt liable to be deducted amount only
- (d) one of the above

20) जहां दो संपत्तियां एक ही मालिक की हैं, एक ऋण को सुरक्षित करने के लिए एक संपत्ति को बंधक रखा जाता है और दूसरे ऋण को सुरक्षित करने के लिए दोनों संपत्तियों को गिरवी रखा जाता है और पूर्व ऋण का भुगतान पूर्व संपत्ति से किया जाता है, प्रत्येक संपत्ति है:

जिस संपत्ति का भुगतान किया गया है उसके मूल्य से पूर्व ऋण की राशि को काटने के बाद बाद में योगदान करने के लिए उत्तरदायी है

पूर्व ऋण की राशि में कटौती के बाद बाद वाले में पुनः योगदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है

ऋण की केवल राशि काटी जाएगी उपरोक्त में से एक

### 21)Where co-judgment debtors are in the position of joint promisors, each is:

- (a) not jointly and severally liable to the decree holder
- (b) jointly and severally liable to the decree holder
- (c) jointly liable to decree holder only
- (d) severely liable to decree holders only.

- 21) जहां सह-निर्णय देनदार संयुक्त वचनदाता की स्थिति में हैं, प्रत्येक है: डिक्री धारक के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी नहीं है संयुक्त रूप से और अलग-अलग डिक्री धारक के प्रति उत्तरदायी है केवल डिक्री धारक के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी है केवल डिक्री धारक के प्रति पृथक रूप से उत्तरदायी है।
- 22)When mortgagor or such other person has tendered or deposited in court under section 83 of the Transfer of Property Act, 1882, the amount remaining due on the mortgage interest on the principal money:/जब बन्धककर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति ने संपित अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 83 के तहत अदालत में निविदा या जमा किया है, तो मूल धन पर बंधक ब्याज पर बकाया राशि:
- (a) shall cease from the date of tender/निविदा की तारीख से समाप्त हो जाएगा
- (b) shall not cease from the date of tender/निविदा की तिथि से समाप्त नहीं होगी
- (c) shall cease from the date of interest due/देय ब्याज की तारीख से समाप्त हो जाएगा
- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।
- 23)Within the meaning of section 91 of the Transfer of Property Act, 1882, the word "mortgagor" means a mortgagor:/धारा 91 के अर्थ के अंतर्गत संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, शब्द "बंधककर्ता" का अर्थ बंधककर्ता है:
- (a) who has a subsisting interest in the mortgage/जिसका बंधक में निर्वाह हित है
- (b) who has ex-interest in the mortgage/जिसका बंधक में पूर्व हित है
- (c) who has not substantial interest in mortgage/जिसका बेंधक में पर्याप्त हित नहीं है
- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

- 24). Under the section 91 of the Transfer of Property Act, 1882, the right of maintenance of an Illegitimate son in Hindu law is a personal right and this right:/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 91 के तहत, हिंदू विधि में वैध पुत्र के भरण-पोषण का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है और यह अधिकार है:
- (a) will support a suit for redemption/मोचन के लिए एक मुकदमे का समर्थन करेगा
- (b) will not support a suit for redemption/मोचन के मुकदमे का समर्थन नहीं करेगा
- (c) is not a legal right/कोई कानूनी अधिकार नहीं है
- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

- 25)Where immovable property of one person is by the act of parties or operation of law made security for the payment of money to another, and the transaction does not amount to a mortgage, the latter person:/जहां एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य या विधि के संचालन से दूसरे को पैसे के भुगतान के लिए बनाई गई सुरक्षा है, और लेनदेन बंधक की राशि नहीं है, बाद वाला व्यक्ति:
- (a) is not said to have a charge on the property/यह नहीं कहा जाता है कि संपत्ति पर कोई भार है
- (b) is said to have a charge on the property/कहा जाता है कि संपत्ति पर भार है
- (c) is said to be a security/को सुरक्षा कहा जाता है

- (d) none of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।
- 26) Section 100 of the Transfer of Property Act, 1882, shall not apply to the charge of a transferee on the trust property for expenses properly incurred in the execution of his trust and no charge shall be enforced against any property in the hands of a person to whom:/संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 100, ट्रस्ट की संपत्ति पर उसके ट्रस्ट के निष्पादन में उचित रूप से किए गए खर्चों के लिए अंतरणकर्ता के आरोप पर लागू नहीं होगी और किसी व्यक्ति के हाथों में किसी भी संपत्ति के खिलाफ कोई श्लक लागू नहीं किया जाएगा। किसको:
- (a) such property has been transferred for consideration and without notice of the charge/ऐसी संपत्ति विचार के लिए और भार की सूचना के बिना स्थानांतरित कर दी गई है
- (b) such property has not been transferred for consideration and without notice of charge/ऐसी संपत्ति विचारार्थ और भार की सूचना के बिना हस्तांतरित नहीं की गई है
- (c) such property has been mortgaged /ऐसी संपत्ति गिरवी रखी गई है
- (d) such property has been hypothecated/.ऐसी संपत्ति बंधक रखी गई है।
- 27)In a charge order the Transfer of Property Act, 1882, there is no transfer of an interest in the property but the creation of a right of payment out of property specified and as such it cannot be enforced against a bona fide purchaser for value. This was decided in case of:
- (a) Radhe Lal v. Ladhi Prasad, AIR 1957 Punj 92
- (b) Nagganna Naidu v. Jonathana Krishna Rangappa, AIR 1959 AP 622
- (c) Chanduram v. Municipal Commissioner, AIR 1951 Cal 398

- (d) none of the above.
- 27) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के एक आदेश में, संपत्ति में किसी हित का अंतरण नहीं है, बल्कि निर्दिष्ट संपत्ति से भुगतान के अधिकार का निर्माण होता है और इस तरह इसे मूल्य के लिए एक वास्तविक क्रेता के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है. इस मामले में यह निर्णय लिया गया: राधे लाल बनाम लाधी प्रसाद, एआईआर 1957 पुंज 92 नागन्ना नायडू बनाम जोनाथन कृष्णा रंगप्पा, एआईआर 1959 एपी 622 चंदूराम बनाम नगर आयुक्त, एआईआर 1951 कैल 398 उपरोक्त में से कोई नहीं।
- 28)Two elements of charge are provided\_in section 100 of the Transfer of Property Act, 1882

Point 1- charges created by the act of the parties.

Point 2-charges arising by operation of law. Hence, a compromise decree creating a charge is an:?

- (a) act of parties within the meaning of section 100
- (b) is not an act of parties within the meaning of section 100
- (c) is not substantial charge
- (d) is a defective charge.
- 28) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 100 में आरोप के दो तत्व प्रदान किए गए हैं

बिंदु 1- पार्टियों के कृत्य से उत्पन्न भार

बिंदु 2- कानून के संचालन से उत्पन्न होने वाले भार इसलिए, आरोप सृजित करने वाला एक समझौता डिक्री एक है:?

धारा 100 के अर्थ के भीतर पार्टियों का कार्य

धारा 100 के अर्थ के अंतर्गत पार्टियों का कार्य नहीं है

पर्याप्त शुल्क नहीं है

एक दोषपूर्ण चार्ज है।

### 29) Within the meaning of section 100 of the Transfer of Property Act, 1882, a charge:

- (a) requires attestation and proved in the same way as a mortgage
- (b) requires attestation and does not prove as a mortgage
- (c) does not require to be attested and proves in the same way as a mortgage
- (d) does not prove a mortgage.

29) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 100 के अर्थ के अंतर्गत, एक भार: के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है और बंधक के समान ही प्रमाणित किया जाता है

के लिए सत्यापन की आवश्यकता होती है और यह बंधक के रूप में साबित नहीं होता है

को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है और बंधक के समान ही साबित किया जाता है

बंधक साबित नहीं होता.

### 30)A security within the meaning of section 101 of the Transfer of Property Act, 1882, may be extinguished by merger:

- (a) by the merger of a lower in a higher security
- (b) by the merger of a lessor estate in a greater estate
- (c) by the merger of a lower in a higher security and by the merger of a lesser estate in a greater estate
- (d) merger of a higher security.
- 30) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 101 के अर्थ के अंतर्गत एक सुरक्षा, विलय द्वारा समाप्त की जा सकती है:

उच्च स्रक्षा में निम्न के विलय से

एक पट्टादाता संपत्ति के एक बड़ी संपत्ति में विलय द्वारा

निचली संपत्ति को उच्च सुरक्षा में विलय करके और छोटी संपत्ति को बड़ी संपत्ति में विलय करके

एक उच्च सुरक्षा का विलय।

### 31)The High Court may make rules under the Transfer of Property Act, 1882, but such rules:

- (a) prevail over the general terms of the Code of Civil Procedure, 1908
- (b) does not prevail over the general terms of the Code of Civil Procedure Code, 1908
- (c) prevails over the general terms of General Clauses Act, 1897
- (d) does not prevail under the general terms of General Clauses Act, 1897
- 31)उच्च न्यायालय संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के तहत नियम बना सकता है, लेकिन ऐसे नियम:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की सामान्य शर्तों पर लागू होता है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की सामान्य शर्तों पर लागू नहीं होता है सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की सामान्य शर्तों पर लागू होता है सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की सामान्य शर्तों के तहत लागू नहीं होता है

### 32)Which among the following statement is true to definitions under section 105 of the Transfer of Property Act, 1882

- (a) price of lease is called the premium and the money, share, service are called rent
- (b) price of lease is called rent and money, share and service are called premium
- (c) price, money, share and service are called premium
- (d) no statement is relevant.
- 32) निम्नितिखित में से कौन सा कथन संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 105 के तहत परिभाषाओं के लिए सत्य है
- पट्टे की कीमत को बीमा शुल्क कहा जाता है और धन, शेयर, सेवा को किराया कहा जाता है
- पट्टे की कीमत को किराया कहा जाता है और धन, शेयर और सेवा को बीमा शुल्क कहा जाता है
- कीमत, पैसा, शेयर और सेवा को बीमा शुल्क कहा जाता है कोई भी कथन सुसंगत नहीं है।

# 33) The provisions of section 106 of the Transfer of Property Act, 1882, were substituted by the Transfer of Property (Amendment) Act, 2002. This provision came into force with effect from

- (a) 31st December, 2002
- (b) 1st July, 2002
- (c) 30th October, 2002
- (d) 2nd July, 2003.
- 33) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के प्रावधानों को संपत्ति हस्तांतरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह प्रावधान 2002 से लागू हुआ।

31 दिसंबर, 2002

1 ज्लाई, 2002

30 अक्टूबर, 2002

2 जुलाई, 2003।

### 34) The Amendment of the Transfer of Property Act, 1882, in the year 2002 amended:

- (a) section 100
- (b) section 106
- (c) section 108
- (d) section 110.

34)वर्ष 2002 में संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 में संशोधन किया गया:

धारा 100

धारा 106

धारा 108

धारा 110.

35) The provisions of section 106 of the Transfer of Property Act, 1882, as amended in the year 2002 shall apply to:

Estd. 2008

- (a) all notices in pursuance of which any suit or proceeding is pending at the commencement of the Amendment Act of 2002
- (b) all notices which have been issued before the commencement of the Amendment Act, 2002 but where no suit or proceeding has been filed before such commencement
- (c) both (a) and (b) are correct
- (d) none of the above.
- 35) वर्ष 2002 में संशोधित संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के प्रावधान लागू होंगे:

सभी नोटिस जिनके अनुसरण में कोई मुकदमा या कार्यवाही 2002 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ में लंबित है

सभी नोटिस जो संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ होने से पहले जारी किए गए हैं, लेकिन जहां ऐसे प्रारंभ से पहले कोई मुकदमा या कार्यवाही दायर नहीं की गई है दोनों और सही हैं उपरोक्त में से कोई नहीं।

- 36)According to the amendment to the Transfer of Property Act, 2002 the period, within the principle of section 106 of the Act shall commence from:
- (a) date of receipt of notice
- (b) date of issue of notice
- (c) date of summoning of notice
- (d) 15 days from the expiry of notice.
- 36) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 2002 में संशोधन के अनुसार, अधिनियम की धारा 106 के सिद्धांत के भीतर की अवधि शुरू होगी: नोटिस प्राप्त होने की तारीख नोटिस जारी होने की तारीख

नोटिस बुलाने की तारीख

नोटिस की समाप्ति से 15 दिन।

- 37) A lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent, can be made only by?
- (a) an ordinary instrument
- (b) by unregistered instrument
- (c) by registered instrument
- (d) by written instrument.
- 37) स्थावर संपत्ति का पट्टा साल-दर-साल या एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए या वार्षिक किराया आरक्षित करके, केवल किसके द्वारा किया जा सकता है?

एक साधारण उपकरण अपंजीकृत उपकरण द्वारा पंजीकृत उपकरण द्वारा लिखित उपकरण द्वारा

## 38)Within the meaning of section 108 of the Transfer of Property Act, 1882 both the lessor and lessee possess the rights along with liabilities. The statement is:

- (a) correct
- (b) partly correct because lessee possess only rights and not responsible for liability
- (c) partly correct because lessor possesses only rights but is not responsible for liability
- (d) none of the above.
- 38) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 108 के अर्थ के तहत पट्टादाता और पट्टाधारी दोनों के पास उत्तरदायित्व के साथ-साथ अधिकार भी होते हैं। कथन है:

सही है

आंशिक रूप से सही है क्योंकि पट्टेदार के पास केवल अधिकार हैं और दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं है

आंशिक रूप से सही है क्योंकि पट्टादाता के पास केवल अधिकार हैं लेकिन दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं।

#### 39)A lease of immovable property:

- (a) can be determined
- (b) cannot be determined
- (c) can be determined as per section 110 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) can be determined as per section 109 of the Transfer of Property Act, 1882

#### 39)स्थावर संपत्ति का पट्टा:

निर्धारित किया जा सकता है

निर्धारित नहीं किया जा सकता

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 110 के अन्सार निर्धारित किया जा सकता है

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 109 के अन्सार निर्धारित किया जा सकता है

- 40) Section 112 of the Transfer of Property Act, 1882 provides for the waiver of the forfeiture but where rent is accepted after the institution of a suit to eject the lessee on the ground of forfeiture, such acceptance
- (a) is a forfeiture
- (b) is not forfeiture
- (c) is a determination of lease Estd. 2008
- (d) is a transfer of lease.
- 40) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 112 में ज़ब्ती की छूट का प्रावधान है, लेकिन जहां ज़ब्ती के आधार पर पट्टेदार को बेदखल करने के लिए म्कदमा दायर करने के बाद किराया स्वीकार किया जाता है, ऐसी स्वीकृति

एक जब्ती है जब्ती नहीं है पटटे का निर्धारण है पट्टे का हस्तांतरण है।

#### 41)A notice under section 111 of the Transfer of Property Act, 1882 can be waived:

- (a) by express or implied consent of the person to whom it is given
- (b) by implied consent of the person to whom it is given
- (c) by express consent of the person to whom it is given
- (d) by notice from either party.
- 41) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 111 के तहत एक नोटिस को टाला जा सकता है:

उस व्यक्ति की व्यक्त या निहित सहमति से जिसे यह दिया गया है उस व्यक्ति की निहित सहमति से जिसे यह दिया गया है उस व्यक्ति की स्पष्ट सहमति से जिसे यह दिया गया है किसी भी पक्ष से नोटिस दवारा।

- 42) Within the meaning of section 114A of the Transfer of the Property Act, 1882, where a lease of immovable property has determined by forfeiture for a breach of an express condition which provided that on breach thereof the lessor may re-enter no suit for ejectment shall lie:
- (a) unless and until the lessor has served on the lessee a notice in writing
- (b) without any notice in writing Estd. 2008
- (c) only on oral assent
- (d) only on lessor's consent
- 42) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 114ए के अर्थ में, जहां स्थावर संपत्ति के पट्टे को एक स्पष्ट शर्त के उल्लंघन के लिए जब्ती द्वारा निर्धारित किया गया

है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि इसके उल्लंघन पर पट्टादाता कोई मुकदमा दोबारा दर्ज नहीं कर सकता है निष्कासन झूठ होगा: जब तक कि पट्टादाता ने पट्टाधारी को लिखित में नोटिस नहीं दे दी हो बिना किसी लिखित सूचना के केवल मौखिक सहमति पर केवल पट्टेदार की सहमति पर

- 43)Surrender under section 115 of the Transfer of Property Act, 1882 being a voluntary act, the principle applies that the lessee cannot derogate from his own grant and by surrender to the lessor, destroy the rights that he has created in the sub-lessee, the surrender, therefore operates as a grant, subject to:
- (a) rights of lessor
- (b) rights of lessee
- (c) right of sub-lessee
- (d) no condition.
- 43) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 115 के तहत अभ्यर्पण एक स्वैच्छिक कार्य है, यह सिद्धांत लागू होता है कि पट्टाधारी अपने स्वयं के अनुदान को पट्टादाता को आत्मसमर्पण करके कम नहीं कर सकता है और, उप-पट्टाधारी में बनाए गए अधिकारों को नष्ट कर सकता है। , समर्पण, इसलिए अनुदान के रूप में कार्य करता है, बशर्ते:

पट्टादाता के अधिकार पट्टाधारी के अधिकार उप-पट्टाधारी का अधिकार कोई शर्त नहीं।

44)The expression "holding over" under the Transfer of Property Act, 1882 is used in the sense of retaining possession. A distinction is made between a tenant continuing in possession

Estd. 2008

### after the determination of the lease without the consent of the landlord, and a tenant doing so with the landlord's consent:

- (a) the former is called "tenant by a sufferance" and the latter class of tenants is called "tenant holding over a tenant at will"
- (b) the former is called "tenant holding over a tenant at will" and latter is called "tenant by sufferance"
- (c) former is called sub-tenant latter is called forfeiture lessor
- (d) none of the above.
- 44) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के तहत अभिव्यक्ति अतिधारण का प्रभाव का उपयोग कब्ज़ा बनाए रखने के अर्थ में किया जाता है। मकान मालिक की सहमित के बिना पट्टे के निर्धारण के बाद भी कब्ज़ा जारी रखने वाले किरायेदार और मकान मालिक की सहमित से ऐसा करने वाले किरायेदार के बीच अंतर किया जाता है:

पूर्व को "पीड़ित किरायेदार" कहा जाता है और किरायेदारों के बाद वाले वर्ग को "अपनी इच्छानुसार किरायेदार पर अधिकार रखने वाला किरायेदार" कहा जाता है। पहले वाले को "इच्छा से किरायेदार पर अधिकार रखने वाला किरायेदार" कहा जाता है और दूसरे को "पीड़ित किरायेदार" कहा जाता है पूर्व को उप-किरायेदार कहा जाता है और बाद वाले को ज़ब्ती पट्टादाता कहा जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं।

### 45)The leases for agricultural purposes are exempted from Chapter V Of the Transfer of Property Act, 1882 because:

- (a) rights of parties are regulated by usage which have to a great extent been embodied in local Acts
- (b) rights of parties are not vested rights
- (c) rights are not provided in this Act
- (d) lessee possesses more right. 2008
- 45)कृषि प्रयोजनों के लिए पट्टों को संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अध्याय V से छूट दी गई है क्योंकि:

पक्षकारों के अधिकार प्रचलन प्रथा द्वारा विनियमित होते हैं जिन्हें काफी हद तक स्थानीय अधिनियमों में शामिल किया गया है पक्षकारों के अधिकार निहित अधिकार नहीं हैं इस अधिनियम में अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं पट्टेदार के पास अधिक अधिकार है।

46)Within the meaning of section 118 of the Transfer of Property Act, 1882 when two or more persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both things being money only, the transaction is called:

- (a) a transfer
- (b) an exchange
- (c) a lease
- (d) an eviction.

46) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 118 के अर्थ में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक चीज़ के स्वामित्व को दूसरे के स्वामित्व में अंतरित करते हैं, कोई भी चीज़ या दोनों चीज़ें केवल धन नहीं होती हैं, तो लेनदेन कहा जाता है:

अंतरण एक विनिमय एक पट्टा एक बेदखली

47)If any party to an exchange or any person claiming through or under such party is by reason of any defect in the title of other party deprived of thing or any part of the thing received by him in exchange then:

- (a) such other party is liable to him or any person claiming through or under him for loss caused thereby
- (b) such other party is not liable
- (c) only (b) is correct

- (d) none of the above
- 47) यदि किसी विनिमय का कोई भी पक्ष या ऐसी पार्टी के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरे पक्ष के स्वामित्व में किसी दोष के कारण वस्तु या बदले में प्राप्त वस्तु के किसी हिस्से से वंचित है, तो: ऐसा अन्य पक्ष उससे होने वाले नुकसान के लिए उसके या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है ऐसा अन्य पक्ष उत्तरदायी नहीं है केवल सही है उपरोक्त में से कोई नहीं
- 48) Within the meaning of section 120 of the Transfer of Property Act, 1882, the parties to an exchange, each have the rights and liabilities of a seller of the thing given and a buyer of the thing taken whereas:
- (a) the provision of section 55 applies to an exchange of land
- (b) provision of section 55 applies to batter of movable goods
- (c) provision of section 55 applies to sale of land
- (d) provision of section 55 applies to exchange Also
- 48) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 120 के अर्थ में, विनिमय के पक्षकारों में से प्रत्येक के पास दी गई वस्तु के विक्रेता और ली गई वस्तु के खरीदार के अधिकार और दायित्व हैं, जबकि:

धारा 55 का प्रावधान भूमि के आदान-प्रदान पर लागू होता है धारा 55 का प्रावधान चल माल के बैटर पर लागू होता है धारा 55 का प्रावधान भूमि की बिक्री पर लागू होता है धारा 55 का प्रावधान विनिमय पर भी लागू होता है

- 49)On an exchange of money, each party thereby warrants the genuineness of the money given by him. This provision dealt in?
- (a) section 120 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) section 121 of the Transfer of Property Act, 1882

- (c) section 122 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) is not dealt with in this Act.
- 49) पैसे के आदान-प्रदान पर, प्रत्येक पक्ष उसके द्वारा दिए गए पैसे की वास्तविकता की गारंटी देता है। इस प्रावधान से निपटा गया है ? संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 120 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 121 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 इस अधिनियम में नहीं निपटाया गया है।

#### 50) In case of gift, the donee dies before acceptance then

- (a) gift is valid
- (b) gift is void
- (c) gift is reduced
- (d) court has to decide.
- 50) दान के मामले में, दान लेने वाले की स्वीकृति से पहले ही मृत्यु हो जाती है दान वैध है दान शून्य है दान कम हो गया है अदालत को निर्णय लेना है।

### 51) In case of immovable property, the transfer must be affected by a registered instrument?

- (a) signed by or on behalf of the donor and attested by atleast two to witnesses
- (b) signed by or on behalf of the donor and attested by at least one witness only
- (c) signed by or on behalf of the donor and attestation of witness not required
- (d) only signed by donor, and no one can sign on his behalf

51) स्थावर संपत्ति के मामले में, अंतरण एक पंजीकृत उपकरण से प्रभावित होना चाहिए ?

दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित

दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और केवल कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित

दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और गवाह के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है

केवल दाता द्वारा हस्ताक्षरित है, और कोई भी उसकी ओर से हस्ताक्षर नहीं कर सकता है

- 52)In case of gift of movable property the transfer may be affected either by a registered instrument signed or by delivery and such delivery may be made in the same way as goods sold may be delivered.
- (a) this is the part of provision under the section 123 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) this is the part of provision under section 122 of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) this is part of provision under section 120 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) this is the part of provision under section 119 of the Transfer of Property Act, 1882
- 52) जंगम संपित के दान के मामले में अंतरण या तो हस्ताक्षरित पंजीकृत दस्तावेज़ या वितरण द्वारा प्रभावित हो सकता है और ऐसी वितरण उसी तरह की जा सकती है जैसे बेची गई वस्तुओं की वितरण की जा सकती है। यह संपित अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 123 के तहत प्रावधान का हिस्सा है यह संपित अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 के तहत प्रावधान का हिस्सा है यह संपित अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 120 के तहत प्रावधान का हिस्सा है यह संपित अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 120 के तहत प्रावधान का हिस्सा है यह संपित अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 119 के तहत प्रावधान का हिस्सा है

#### 53) The gift of future property is

- (a) void
- (b) voidable
- (c) valid
- (d) conditionally void

53)भावी संपत्ति का दान है शून्य शून्यकरणीय वैध सशर्त रूप से शून्य

### 54)A gift to two or more donees, of whom one does not accept, it is?

- (a) void as to interest which he would have taken had he accepted
- (b) valid as to the interest which he would have taken had he accepted
- (c) voidable at the option of donor
- (d) valid at the option of heir.

54)दो या दो से अधिक दानग्रहीता को दिया गया उपहार, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है, क्या है?

उस ब्याज के संबंध में शून्य है जो उसने स्वीकार किया होता तो वह लेता उस ब्याज के बारे में वैध है जो उसने स्वीकार किया होता तो वह लेता दाता के विकल्प पर शून्यकरणीय उत्तराधिकारी के विकल्प पर वैध।

#### 55) The onerous gift is dealt in?

- (a) section 127 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) section 126 of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) section 125 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) section 124 of the Transfer of Property Act 1882

55) दुभर्र दान सम्बंधित है? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 127 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 126 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 125 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 124

56)'धन का विनिमय' संबंधी प्रावधान सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के निम्निलिखित धाराओं में से किसमें उपबन्धित है? / In which of the following Sections of the Transfer of Property Act, the provision relating to 'Exchange of Money' is provided?

- (a) धारा 118/Section 118
- (b) धारा 119/Section 119
- (c) धारा 121/Section 121
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above

### 57)निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? / Which one of the following pairs is not correctly matched?

- (a) स्थावर सम्पत्ति-धारा 2/Immovable property-Sec. 2
- (b) भार धारा 100/Charge-Sec. 100
- (c) पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन धारा 56/Marshalling by subsequent purchaser
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above

# 58) निम्नलिखित में से कौन सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम से संबंधित नही है? / Which of the following is not related to the Transfer of Property Act?

- (a) दान/Gift
- (b) धन का विनिमय / Exchange of money
- (c) विभाजन/Partition
- (d) अचल सम्पत्ति का पट्टा / Lease of Immovable Property.

- 59) निम्न में से कौनसी एक वैध दान के आवश्यक शर्त नही है: / Which of the followings is not a conditions for a valid gift of immovable property:
- (a) पंजीकृत विलेख दाता की तरफ से हस्ताक्षरित होना चाहिए। / Registered instrument signed by on behalf of the donor.
- (b) प्रतिफल / Consideration
- (c) कम से कम दो साक्षियों से अनुप्रमाणित । / Attestation by at least two witnesses.
- (d) गिफ्ट का दानगृहिता द्वारा दानदाता के जीवनकाल मे स्वीकारोक्ती। / Acceptance of gift by done during the lifetime of the donor.
- 60)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का दान से संबंधित अध्याय /The Chapter that deals with gift under the Transfer of Property Act, 1882?
- (a) मुस्लिम विधि के दान को भी लागू होता है। / Applies to Mohammadan Gift also
- (b) मुस्लिम विधि के दान को लागू नहीं होता है / Does not apply to Mohammadan Gift I
- (c) सभी जातियों, प्रजातियों पर लागू होता है। / Applies to all Caste, Creed, etc.
- (d) केवल पारसी दान पर ही लागू होता है। / Applies to Parsi Gift only
- 61)ऐसे कई व्यक्तियों को दान, जिसमें से एक उसे प्रतिगृहीत नहीं करता है, से संबंधित धारा है-/ Gift to several, of whom one does not accept-
- (a) धारा 120/Section 120
- (b) धारा 123/Section 123
- (c) धारा 136/Section 136
- (d) धारा 125/Section 125
- 62). ख को क एक लाख रुपया, ख की अनुमित से अपना यह अधिकार आरिक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से, 10,000 रुपए जब जी चाहे वापस ले सकेगा। / A gives a lakh of rupees to B, reserving to himself, with

Estd. 2008

### B's assent, the right to take back at pleasure Rs. 10, 000 out of the lakh.

- (a) 90,000 रुपयों के बारे में दान वैध है, किन्तु 10,000 रुपयों के बारे में, जो क के ही बने रहते हैं, शून्य है।। The gift holds valid as to Rs.90,000, but is void as to Rs.10,000, which continue to belong to A.
- (b) 10,000 रुपयों के बारे में दान वैध है, किन्तु 90,000 रुपयों के बारे में, जो क के ही बने रहते हैं, शून्य है।। The gift holds valid as to Rs.10,000, but is void as to Rs.90,000, which continue to belong to A.
- (c) 90,000 रुपयों के बारे में दान वैध है, किन्तु 10,000 रुपयों के बारे में, जो क के ही बने रहते हैं, शून्यकरणीय है। / The gift holds valid as to Rs.90,000, but is voidable as to Rs.10,000, which continue to belong to A.
- (d) 10,000 रुपयों के बारे में दान वैध है, किन्तु 90,000 रुपयों के बारे में, जो क के ही बने रह भून्यकरणीय है। / The gift helds valid as to Rs.10,000, but is voidable as to Rs.90,000 which continue to belong to A
- 63). जहां कि दाता की पूरी सम्पत्ति का दान है वहां आदाता दान के समय के दाता के सब शोध्य ऋणों और दायित्वों के लिए वैयक्तिक रूप से उसमें समाविष्ट सम्पत्ति के विस्तार तक दायी है। / where a gift consists of the donor's whole property, the donee is personally liable for all the debts due by and liabilities of the donor at the time of the gift to the extent of the property comprised therein.
- (a) धारा 126/Section 126
- (b) धारा 128/Section 128
- (c) धारा 136/Section 136
- (d) धारा 115/Section 115

### 64)अनुयोज्य दावों का अन्तरण किया जा सकता है- / An actionable claim can be transferred by-

- (a) एक पंजीकृत लिखत / A registered instrument
- (b) पंजीकृत लिखत अंतरक के द्वारा हस्ताक्षरित है / An instrument in writing signed by the transferor

- (c) पंजीकृत लिखत को दो साक्षियों द्वारा पृष्ठांकित / A registered instrument attested by two witnesses
- (d) मौखिक करार/oral agreement
- 65) निम्नलिखित में से कौनसा सही सुम्मेलित है? / Which one of the following pair is correctly matched?
- (a) सर्वस्व दाता धारा 128 क / Universal donee Section 128A
- (b) बंधक ऋण धारा 134/Mortgaged debt Section 134
- (c) धन का विनिमय धारा 120/Exchange of Money Section 120
- (d) उपरोक्त सभी /All of the above
- 66) निम्नलिखित में से किसको 'अनुयोज्य दावे' के रूप में मान्यता दी गई है?/Which among the following is recognised as 'Actionable Claims'?
- (a) भविष्य डिक्री/Future decree
- (b) प्स्तक का कॉपीराइट / Copyright of a book
- (c) अन्तःकालीन लाभ के लिए दावा/Claim for mesne profit
- (d) किराए के बकाये के लिए/Arrears of rent
- 67) निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावे का क्रय और विक्रय नहीं कर सकता है?/Who among the following cannot purchase and sale an actionable claim?
- (a) केवल न्यायाधीश/only judge
- (b) केवल विधिक व्यवसायी /only legal practitioner
- (c) केवल कोई भी न्यायिक अधिकारी/only any judicial officer
- (d) उपरोक्त सभी /All of the above
- 68)Every notice of transfer of an actionable claim shall be in writing, signed by the transferor or his agent or in case the transferor refuses to sign, by the transferee or his agent and shall state the name and address of the transferee. This is the provision under

- (a) section 130A of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) section 130 of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) section 131 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) is not relevant in the Transfer of Property Act, 1882.
- 68) अनुयोज्य दावे के अन्तरण की प्रत्येक सूचना लिखित रूप में होगी, जिस पर अंतरणकर्ता या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या यदि अंतरणकर्ता हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो अंतरिती या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और अंतरिती का नाम और पता बताया जाएगा। इसके तहत यही प्रावधान है

संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 130ए संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 130 संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 131 संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में प्रासंगिक नहीं है।

- 69)Where a debt is transferred for the purpose of securing an existing or future debt, the debt so transferred, if received by the transferor or recovered by the transferee is applicable first, in payment of the cost of such recovery. This is the provision of
- (a) mortgaged debt
- (b) gift
- (c) actionable claim
- (d) lease.
- 69) जहां किसी ऋण को मौजूदा या भविष्य के ऋण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से स्थानांतरित किया जाता है, इस प्रकार हस्तांतरित ऋण, यदि हस्तांतरणकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है या अंतरिती द्वारा वसूल किया जाता है, तो ऐसी वसूली की लागत के भुगतान में सबसे पहले लागू होता है। ये है प्रावधान बंधक ऋण

दान अनुयोज्य दावे पट्टा। 70)No judge, legal practitioner or officer connected with any Court of Justice shall buy or traffic in, or stipulate for or agree to receive any share of, or interest in, any actionable claim and

- (a) no court of justice shall enforce at his instance any actionable claim
- (b) court of justice shall enforce any actionable claim
- (c) such court of justice has jurisdiction to try
- (d) none of the above.
- 70) किसी भी न्यायलय से जुड़ा कोई भी न्यायाधीश, कानूनी व्यवसायी या अधिकारी किसी भी अनुयोज्य दावे को नहीं खरीदेगा या उसमें तस्करी नहीं करेगा, या उसमें कोई हिस्सेदारी या हित प्राप्त करने के लिए अनुबंध नहीं करेगा या सहमत नहीं होगा ?

न्याय की कोई भी अदालत उसके कहने पर किसी भी अनुयोज्य दावे को लागू नहीं करेगी


न्याय अदालत किसी भी अनुयोज्य दावे को लागू करेगी ऐसे न्यायालय के पास मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है उपरोक्त में से कोई नहीं।

राजस्थली

Estd. 2008

**Answer key** 





66-d

67-d

68-c

69-a

70-a



Estd. 2008